12.58 hrs.

MOTION RE. REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): I beg to move:

"That this House do consider the Annual Report of the University Grants Commission for the year 1975-76, laid on the Table of the House on the 4th April, 1977."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That this House do consider the Annual Report of the University Grants Commission for the year 1975-76, laid on the Table of the House on the 4th April, 1977."

SHRI B. RACHAIAH (Chamarajanagar): I would like to make a few remarks on the Report that has been placed by the Minister of Education on the University Grants Commission, for the year 1975-76.

The University Grants Commission was created under the Act of 1956. A national policy on education was adopted in 1968, by both the Houses of Parliament. The observations on university education included: (1) the number of students to be admitted to college or university departments, should be determined with reference to the laboratory, library and other facilities and to the strength of the staff; (2) Care should be taken in establishing new universities; (3) Special attention should be given to the organization of post-graduate university courses and to the improvement of standards, training and research at this level.

13 hrs.

This has to be given more support, increased support. The Standing Committee of the Central Advisory Board of Education in its resolution published in 1976, also made the following observations:

"The objectives of the Fifth Plan could have been achieved and significant steps should have been taken to bring about the long-needed transformation of the educational system, had the allocation originally asked for of Rs. 3,320 crores been granted."

Unfortunately, the Planning Commission has approved only Rs. 1,200 crores. As a result of that, the UGC feel that they could not implement all those objectives which the Planning Commission has in view. But, within the limits, the UGC has done some good work and it has done its job very well.

The total number of colleges is mentioned by the UGC at page 119 of its Report. In 1971-72, the number of colleges was 3,896. In 1975-76, it increased to 4,508. The enrolment was about 24,86,108. The enrolment for correspondence course has been mentioned at page 122. Therefore, there is a decrease in the enrolment for the regular classes of the colleges.

The object of the creation of the UGC was to co-ordinate the activities of the Universities and affiliated colleges, give them necessary assistance, bring about uniformity in the educational system, standard of teaching, co-ordination of standards, improvement of research facilities etc. Earlier reports on education are there.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may continue his speech after lunch. We will now adjourn for lunch.

13.03 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha then re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

MOTION RE: REPORT OF UNIVERSITY GRANTS COMMISSION FOR 1975-76—*Contd.*

MR. CHAIRMAN: Shri Rachaiah to continue his speech.

SHRI B. RACHAIAH: I was saying that a number of commissions were appointed earlier like Radhakrishnan Commission, Kothari Commission, Gajendragadkar Commission, etc. but still the procedure has not been simplified. I do not know whether the present Minister is going to appoint one more commission to have a survey of the working of the universities taking into consideration the present day situation of unemployment. If you look into the figures, you will find that out of 3856 colleges in 1973, only 910 were in the rural areas and the rest were in the urban areas. Out of 22.4 lakh enrolments, 19.6 lakh college enrolments were in the urban areas. Out of 5.2 lakh girl enrolments, only 63,000 were in the rural areas. It shows that our education is urban biased, urban oriented. The Janata Party has stated in its manifesto that they would give priority to rural problems, to the speedy development of rural areas. So, if there is any expansion of colleges and universities, we should see that they are started in the rural areas so that this imbalance can be set right.

Out of the total number of colleges. two-third are affiliated colleges with 90 per cent of enrolments. They get grant-in-aid from the Government. But they are very much hesitant to enrol SC & ST students on the plea that they have no money at present to meet the expenditure of their college. Therefore, I would suggest that when 90 per cent of the amount is given by the Government, the Government should take over all the colleges and treat them on par with the central universities. Out of the total allotment made, I feel that the central universities get 26 per cent of the total amount from the Government. Why should there be such a disparity? The per capita expenditure on every student in the central universities particularly in the Nehru University is about Rs. 10,000/- whereas in the rural colleges, it is less than Rs. 100 and Rs. 150/-. So, we are having two standards of education, one for the elite and another for the rural poor people. Therefore, this disparity has to be wiped out. The University Grants Commission pleads its inability to look into any complaints of maladministration or misappropriation of funds in the affiliated colleges. I, on this occasion, suggest to the Government to make some amendments in the Act so that the colleges do not misuse their funds. If there is any maladministration, the respective University should look into that. When you allot funds, you must tell them that they should see that the money is utilised only for the purpose for which it has been sanctioned.

On p. 3 of the U.G.C. Report, they have already mentioned their inability. It says:

> "On occasions, complaints have been received by the Commission regarding mal-practices in the payment of salaries to teachers. Since the Commission does not have any authority to interfere in the internal affairs of the colleges, such complaints have invariably been referred to the universities concerned for such action as they may like to take.".

This is the position at present. If that is so, I suggest that there should be a provision to interfere and make enquiries. Since "Education" has become a Concurrent subject, we have got ample powers to see that these malpractices are put an end to.

I would like to mention one more point with regard to the affiliated colleges where more than 50 per cent of scheduled castes and scheduled tribes students are admitted, where the results are good and they are running well. You have to give some extra incentive to those colleges so that the affiliated colleges admit, scheduled castes and scheduled tribes boys and

girls in large numbers. For example, in Karnataka, there is the KGM college of which Mr. Krishnappa is the President. Out of 800 enrolments of girls, nearly 600 accounts for scheduled castes and scheduled tribes students and the results are hundred per cent. In such cases, the incentives to those colleges should be given not on the basis which the UGC has decided but more incentives should be given to these colleges.

With regard to reservation of seats for scheduled castes and Scheduled tribes students, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has suggested that there should be a survey conducted of all the affiliated colleges and the university colleges as to whether the directives of the Government with regard to the reservation of seats and with regard to the reservation of appointments in the universities have been complied with according to the instructions laid down. But the University Grants Commission has not been able to set up a cell to have the survey conducted. This is what the UGC report says:

> "The position obtaining in 104 universities and institutions deemed to be universities from which replies have so far been received is as under:
>
> (i) Forty-four universities are observing strictly the instructions issued by the Government of India in the matter. Of these, 18 universities have indicated the provision for relaxation of 5 per cent marks for students belonging to scheduled castes and scheduled tribes.
>
> (ii) In 45 universities, the reservation of seats for students belonging to scheduled castes and scheduled tribes varies from 3 per cent to 33 per cent.
>
> (iii) Fifteen universities have not provided for any reservation of seats for candidates belonging to scheduled castes and scheduled tribes but they have indicated that no difficulty is being experienced by the students belonging to these categories in regard to admission to various courses."

Without giving the figures, if they have come to this conclusion, how can we believe that they have provided adequate provision for the accommodation of scheduled castes and scheduled tribes candidates? Therefore, I plead that a cell be created to have a survey conducted as to whether these guidelines have been followed by the universities.

Another point that I want to make is with regard to the students' unrest all over the country. During 1974-75, there was not so much of trouble because the Emergency was there.

Fifty per cent of the universities did not conduct examinations in time. We must have some relationship with the atmosphere that has been created in the universities. Most of the students who are now facing examinations are annoyed because the examinations are conducted at the end of the academic year.

There should be some change in the examination system and there should be some practical bearing on our daytoday life. These examinations do not have a bearing on our day-to-day life; they prepare the students for the desk work. Therefore, the unemployment problem has increased and has been mounting day by day. Therefore, we have to see that the vocationalisation and commercialisation of the education has to be looked into.

With regard to hostel facilities, for the students, there has been a lot of difficulty for the students to get accommodation for their lodging and boarding all over the country and their are very few students' centres. Therefore, this needs top priority in providing and granting funds for the construction of hostels for the students. Library facilities like bookbanks and other facilities have to be made available for the poor sections

[Shri B. Rachaiah]

and the weaker sections of the students. Therefore, I lay more stress on these points; we have to look to the reality of our life and our education should have a bearing on our life and what we are going to derive out of it. We have to see that the aim of our education should be to make an individual a full person mentally and physically fit. If that is so, we have to change our attitude with regard to our education. Therefore, I feel that the present day education has not been helpful in solving the problems of our country.

I, once again, thank the Minister for having brought out this Report. Being an eminent scholar and academician, I think he will appreciate the difficulties that are being experienced by the students in the universities and he should try to see that there is a uniform pattern of examination, uniform pattern of standard and maintenance of the uniform system of education. He should also see that more facilities for lodging and boarding for these students are provided and particularly the interest of the SC and ST students has to be safeguarded. With these words, I conclude my speech.

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोडा) : सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पर यह सदन विचार कर रहा है। इस रिपोर्ट के पढ़ने से विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग और उच्च शिक्षा की सारी भूमिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्नचिह्न बनकर खड़े हो जाते हैं। उच्च शिक्षा के विस्तार, कालेजों के विकास स्तरों की रक्षा और समन्वय, छात्र कल्याण और कमजोर वर्गों को सहायता, ग्रामीण व्यावहारिक अभिविन्यास इत्यादि-इत्यादि अनेक विषयों पर इस रिपोर्ट में यू०जी०सी० के द्वारा किये गये कार्यकलापों का विवरण है।

उच्च शिक्षा के विस्तार के बारे में कहते हुए इस प्रतिवेदन में कहा गया है कि छात्रों की संख्या में इस वर्ष केवल 2.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार से इन्होंने बड़ा हर्ष प्रकट किया है कि उच्च शिक्षा में आने वाले छात्रों की संख्या को इन्होंने नियंत्रित कर लिया है। यह तो विवादास्पद प्रश्न है कि उच्च शिक्षा के लिये आने वाले छात्रों की संख्या को नियंत्रित किया जाये अथवा नहीं, लेकिन अगर आप गौर करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसी वर्ष में कोई ऐसा काम नहीं किया है। 1970-71 से ही निरन्तर उच्च शिक्षा छात्रों की संख्या में ह्रास होता चला जा रहा है। 1969-70 तक 14.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती थी लेकिन 1970-71 से 9 प्रतिशत होनी शुरू हुई जो घटते-घटते 2.5 प्रतिशत पर आ गई। इस लिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ कदम उठा कर इसी वर्ष इस वृद्धि को रोक लिया है। इस रिपोर्ट से यह पता लगाना बडा मुश्किल है कि यह वृद्धि किन क्षेत्रों में रुकी है, किन स्थानों पर भर्ती का स्तर गिरा है और इसके क्या कारण हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बड़े कालेजों और विश्वविद्यालयों के खोलने पर प्रतिबन्ध लगाया है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार प्रतिबन्ध लगा कर भर्ती को रोकना कहां तक उचित है। आयोग की रिपोर्ट से यह भी पता नहीं चलता है कि क्या उसके द्वारा छात्रों को दूसरी दिशाओं में भेजने के लिए कोई प्रबन्ध किये गये हैं या नहीं। आखिरकार जो लोग माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर के आये हैं, उन्हें क्या करना होगा—देश की वह युवा-शक्ति किधर जायेगी, इस रिपोर्ट से यह ज्ञात नहीं होता है कि विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग ने इस बारे में कोई उपक्रम किया है या नहीं।

सब से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया

किस लिए गया है और उसकी भूमिका क्या है। 1972 तक संशोधित यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट के अध्याय 3 के सैक्शन 12 में कहा गया है :

"It shall be the general duty of the Commission to take, in consultation with the universities or other bodies concerned, all such steps as it may think fit for the promotion and coordination of university education and for the determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in universities and for the purpose of performing its functions under this Act, the Commission may perform such other functions as may be prescribed or as may be deemed necessary by the Commission for advancing the cause of higher education in India...."

Not for stopping the cause of higher education in India, not for throttling the cause of higher education in India.

"....or as may be incidental or conducive to the discharge of the above functions."

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका तो यह है कि वह उच्च शिक्षा के विस्तार, उन्नयन और विकास के लिए काम करे, न कि उसकी भर्ती में बाधा पहुंचाये और छात्रों को उच्च शिक्षा लेने से रोके।

सैक्शन 14 में कहा गया है :

"If any university fails, within a reasonable time, to comply with any recommendation of the Commission under section 12 or section 13 or contravenes the provisions of any rule made under clause (f) or (g) of sub-section (2) of section 25 or of any regulation made under clause (e) or clause (f) or (g) of section 26, the Commission.... may withhold from the university the grant proposed to be made out of the funds of the Commission."

यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों पर आर्थिक नियंत्रण रखने के लिए बड़े भारी अधिकार दिये गये हैं। वह जब भी चाहे, तब विश्वविद्यालयों के फ़ंड्ज को रोक कर उन्हें कोई एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है।

इस एक्ट को पढ़ने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका के बारे में दो बातें साफ़ हो जाती हैं। एक तो यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा के विकास, उन्नयन और उसके स्तर को ऊंचा उठाने और अधिकाधिक छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए है। दूसरे, अगर कोई विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को सुधारने, उसका विकास करने और अनुसंधान के स्तर को उठाने में कोई अवरोध उत्पन्न करता है, या कमीशन की सिफ़ारिशों को नही मानता है, तो आर्थिक नियंत्रणों द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इतने व्यापक अधिकार और इतना व्यापक क्षेत्र है।

जहां तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर खर्च का प्रश्न है, 1976-77 में उसे 778.5 करोड़ रुपया दिया गया है। उससे पहले उसे 32 करोड़ रुपया दिया जाता था। शिक्षा का कुल बजट 187.8 करोड़ रुपये है। अर्थात् केन्द्रीय सरकार शिक्षा पर जो खर्च करती है, उसका 41,42 प्रतिशत हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दे रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गतिविधियों का देश में क्या परिणाम है? आपातकाल से पहले मुझे छात्रों के एक सेमिनार में जाने का अवसर मिला। वहां एक छात्र ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा—

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

"The utility of higher education in India lies in its futility".

यह छात्रों के उद्गार हैं उच्च शिक्षा के बारे में कि उच्च शिक्षा का मतलब इस देश में केवल उसकी निरर्थकता से है, वह सार्थक नही है।

यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यापकों के स्तर के विकास के बारे में भी विचार करता है। अब उसके बारे में मैं क्या बताऊं? एक कार्यक्रम उसके द्वारा दिया गया है अध्यापकों के स्तर का विकास करने के संबंध में। मैं स्वयं अध्यापक हूं। मैंने कई बार देखा है कि अध्यापकों के स्तर में जो गिरावट आई है और उसके बारे मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कदम उठाए हैं वह किस तरह अपर्याप्त है। मैंने एक लिमेरिक पढ़ी थी कि—

Once there was a young man named Besser,
Whose learning grew lesser and lesser
Till it became so small
That he knew nothing at all,
And now he is a College Professor

SHRI VASANT SATHE (Akola): He is now a Member of Parliament.

डा० मुरली मनोहर जोशी: यह तो आपके मीसा की कृपा है।

विश्वविद्यालय के अध्यापको के स्तर के विकास में, अनुसंधान में और पाठयक्रम के सुधार के सम्बन्ध में यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नितान्त असफल रहा है। पाठयक्रम के सुधार में यह क्या कर रहे थे वह मैं आपको बताता हूं। यह श्री सतपाल कपूर एम० पी० का लेटर है जो यू०जी०सी० के पैनेल के सामने विचारार्थ रखा गया था।

Copy of letter No. Nil dated 19th October, 1976 addressed to Prof. Nurul Hasan by Shri Satpal Kapur, ex-M.P.

अभी तक तो ये सब लोग और जगह हो हस्तक्षेप कर रहे थे लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर रहे थे यह आप देखिए। यह पत्र शिक्षाविदों के पैनेल के सामने रखा गया था·

"This is to bring to your kind attention my note, 'Policy for Communicating Achievements' which I along with a group of Congress Workers discussed with Shri Sanjay Gandhi"

"During the course of discussion, Shri Sanjay Gandhi appreciated the logic presented ... ... For this, he emphasized the contribution the teachers in schools and colleges can make by documenting the achievements and the task ahead in specific village, block, ward, town, district, state and national context, In each village, the primary school teahers, in collaboration with social workers and other volunteers should prepare douments on the achievements and progress in the village since Independence, during the dynamic decade and during Emergency. These documents should be made part of the students curricula and they should be examined on these also as in any other subject of their study. Similarly, in middle schools, high schools or colleges, achievements and progress at the block, district and state levels respectively should be taught and students should be examined therein. In universities, priority should be given to conduct research on various aspects of socio-economic transformation that the country has undergone during the last ten years so as to make a proper assessment of the forces of change and progress.

I am sending this to you for proper examination of the suggestions made and request that appropriate action to implement them may kindly be taken at the earliest.

This is a copy of the letter written by Shri Satpal Kapur to Prof. Nurul Hasan and which was circulated to various panels of the UGC. This was on the agenda of the UGC panels for discussion during 1976.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour) : I am on a point of order. Let whatever he is quoting from be laid on the Table of the House. There is a clear direction issued by the former Speaker Shri Hukum Singh that if a Member quotes from a certain document and he is willing to authenticate it as a genuine document, he is at liberty to lay it on the Table of the House with the consent of the Chair.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : It is a good suggestion.

MR. CHAIRMAN: There are two or three points which arise. One is that whether his custody of the document is proper or not will have to be looked into. Moreover, he has not supplied a copy of it in advance. So it is better that we rest content with whatever he has read out. If you insist on its being laid on the Table, it will create difficulties.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam) : Since it relates to an ex-Member of Parliament, we should know whether it is an authentic copy or not....

MR. CHAIRMAN: I am not allowing him to lay it on the Table.

डा० मुरली मनोहर जोशी : तो मैं आपसे निवदन कर रहा था कि जिस प्रकार की गतिविधियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इमर्जेन्सी के दौरान रहीं, पिछले दिनों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कुछ किया, उसके बारे में इस सदन में पर्याप्त प्रश्न उठाये जा चुके हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सारी भूमिका पर आज हमें विचार करना है। आखिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस लिए बनाया गया? उच्च शिक्षा के स्तर गिरते चले जा रहे हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं है लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सर्कुलर भेज दिया है कि जितनी भी उच्च शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्तियां होंगी उनके लिए डाक्ट्रेट की डिग्री का होना अनिवार्य होगा। मै डाक्ट्रेट के विरोध में नहीं हूं लेकिन किसी नियुक्ति के साथ इसको अनिवार्य करने का मतलब यह है कि आप उच्च अनुसंधान में भी गिरावट लाने का रास्ता खोल रहे हैं। आज स्थिति यह हो गई है कि जो थीसिस हमारे पास पढ़ने के लिए आती हैं उनको देखकर हमें शर्म आती है। उच्च अनुसंधान का प्रबंध, जिस पर आप लाखों रुपया खर्च कर रहे है छात्रवृत्ति के तौर पर, इस देश में विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान करवाये जा रहे है उनकी कोई सार्थकता नही है। इसका पूरा रिव्यू होना चाहिए और इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए कि जो लाखों रुपया वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यू०जी०सी० के माध्यम से दिया जा रहा है उससे जो अनुसंधान हो रहे हैं वह इस देश की परिस्थितियों से और इस देश की आवश्यकताओं से कहां तक संबंधित हैं। मैं समझता हूं इसके बारे में पूरी जांच की जानी चाहिए। आज लाखों रुपया छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए के वैज्ञानिक उपकरण आज प्रयोगशालाओं में पड़े हुए हैं बिना किसी काम के। मैं आपको मिसाल देता हूं। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 6 एलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप खरीदने के लिए ग्रान्ट दी गई लेकिन मेरी राय में वहां पर एक या दो एलेक्ट्रान माईक्रोस्कोप पर काम कराने के लिए समय या अनुसंधान की समस्याओं की मात्रा उपलब्ध नहीं है। लेकिन वहां पर 6 के लिए ग्रान्ट दे दी गई जबकि

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

एक इलेक्ट्रान माईक्रोस्कोप 6–7 लाख के फारेन एक्सचेंज में आयेगा। इस तरह से आप ग्रान्ट्स देते चले जा रहे हैं।

इसी प्रकार से आज इस गरीब देश में कंप्यूटर्स को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चार साफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सेन्टर्स बनाने के लिए विश्वविद्यालयों से कहा है। हमारी राष्ट्रीय नीति इस मामले में आटोमेशन की यह नहीं है कि क्षेत्रीय केन्द्रों पर हम इन कंप्यूटर्स को ले जायेंगे। यह कंप्यूटर्स जो आते हैं वे अपने साथ एक संस्कृति भी लाते है। मैं जानना चाहता हूं क्या मल्टी नेशनल्स इस यू०जी०सी० में भी तो आपरेट नही करने लगे हैं? आप कंप्यूटर्स को यू०जी०सी० के माध्यम से विश्वविद्यालयों में भेज दें, जो छात्र अनुसंधान करें उनको आप कंप्यूटर्स की आदत डलवा दें इस तरह से वह अनुसंधान का एक हिस्सा बन जायें और फिर कंप्यूटर्स खरीदने के लिए वह बाध्य हो जायें और इस तरह से धीरे-धीरे वहा की सारी औद्योगिक और टेक्नोलाजिकल डेवलपमेन्ट्स को यथावत इस देश से स्थापित कर दें। मैं समझता हूं यह बहुत खतरनाक चीज होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो उच्च शिक्षा इस देश में हो रही है उसका उपयोग इस देश की समस्याओं का निराकरण करने के लिए होना चाहिए। आज अधिकांश जो वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं वह पश्चिमी देशों की नकल हैं। वहां की समस्याओं में थोड़ी बहुत समस्यायें हल होने से कही रह जाती हैं उनको पूरा करने मात्र के लिए यह उपक्रम हैं। हमें तो अपने अनुसंधान और उच्च शिक्षा को देश की समस्याओं के साथ ओरिएन्ट करना होगा, उनके साथ जोड़ना होगा। कैसे जोडना होगा, इस संबंध में मैं आपको एक देश का उदाहरण देना चाहूंगा जिसके बारे में अक्सर चर्चा की जाती है, वह देश है इजरायल। मैंने वहां की एक थीसिस देखी जोकि जियोग्रैफी विभाग की थी। उसमें एक एम० ए० पास छात्र को यह समस्या दी गई थी कि तेल अवीव के पास एक गांव में साल के तीन महीनों में, हवा किस दिशा से किस दिशा में बहती है उसका नक्शा बनाये। इजरायल मे चूंकि पानी की कमी है इसलिए वहां सिंचाई में स्प्रे सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगर हवा के साथ स्प्रे मशीन को रखा जाये, हवा की दिशा में, तो कम पानी में अधिक सिंचाई हो सकती है और अगर विपरीत दिशा मे रखा जाये तो ज्यादा पानी खर्च होगा। तो वहा एक एम०ए० पास छात्र गाव की समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनुसंधान का प्रकल्प लेता है। मैं पूछना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसे कितने प्रकल्प हमारे देश के विश्वविद्यालयों में चालू करवाये जिनसे यहां के ग्रामों के औद्योगीकरण, ग्रामीण कृषि, ग्रामीण सिंचाई तथा अन्य ग्रामीण जीवन की समस्याओं का निराकरण किया जा सके? किस विश्वविद्यालय ने कितने गांव आज तक एडाप्ट किए कि वह उन गांवों की समस्याओं का अध्ययन करेगा, उनकी मार्केटिंग प्राब्लम्स का अध्ययन करेगा, उनकी एग्रेरियन प्राब्लम्स का अध्ययन करेगा और उनकी सोशल प्राब्लम्स का अध्ययन करेगा? मैं जानना चाहूंगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस दिशा मे कौन से कदम उठाए? (व्यवधान) मैं दो मिनट और लूंगा। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी तक अपनी भूमिका को साफ़ समझ नहीं पाया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र मे यह बात तो जरूर कही गई है कि इसमे आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन इस बात को अभी तक निश्चित नहीं किया गया है कि यह परिवर्तन किस दिशा में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए।

जो शिक्षा पद्धति यहां लागू की गई थी उसके विषय में दो-चार अंश राधाकृष्णन् कमीशन से और कोठारी कमीशन से उद्धृत करके मैं अपने भाषण को समाप्त करूंगा। इन्होंने कहा है कि भारत में जो शिक्षा का उद्देश्य था—

"It would be extremely easy for Government to establish, at moderate expense, in various parts of Provinces, places of gratuitous instruction in reading and writing English, multitudes, especially of the young, would flock to them; and the easy books used in teaching, might at the same time convey obvious truths on different subjects. ...."

फिर ये कहते हैं—

"These protests proved unavailing, but in a few years the Court of Directors (of the East India Company) wrote with approval of the efforts to raise up a class of persons qualified for high employment in the civil administration of India: "As the means of bringing about this most desirable object we rely chiefly on their becoming through a familiarity with European literature and science,....

Mind the words 'European literature'.

"....European literature and science, imbued with the ideas and feelings of civilised Europe—on the general cultivation of their understanding, and specifically on their instruction in the principles of morals and general jurisdiction".

आगे चल कर ये कहते हैं—

"*Resolution of Bentinck and his Council.*—Macaulay's Minute was approved by the Governor-General, Lord William Bentinck and his Council. On 7th March, 1835, they passed a resolution in which they emphasized:—

(1) that the "great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India and that all funds appropriated for the purposes of education would be best employed on English education alone;

(2) that while the colleges of oriental learning were not to be abolished, the practice of supporting their students during their period of education was to be discontinued.

(3) that Government funds were not to be spent on the printing of oriental works; and

(4) that all the funds at the disposal of the Government would henceforth be spent in imparting to the Indians a knowledge of English literature and science."

यह शिक्षा पद्धति थी, जो लागू की गई थी, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक इस देश में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा।

"The Committee recommended the establishment of a new institution in which 'the various branches of medical sciences cultivated in Europe .... should be taught and as near as possible on the most approved European system'."

भारत का इसमें कोई जिक्र नही है।

"I would make it my principal aim to communicate through the means of the English language a complete education in European literature, philosophy and science to the greatest number of students who may be ready to accept it."

आज इस देश में जो कुछ हो रहा है वह वही पाठ्यक्रम है जो 1863 में विश्वविद्यालयों में लाया गया था। आप देखिये—यूरोपियन लिटेचर यूरो-

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

पियन साइन्स के पाठ्यक्रम पर कितना समय देते हैं, विदेशों में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कितने घन्टे अलाट करते हैं, वेस्टर्न फिलास्फ़ी कितनी पढ़ाते हैं, वेस्टर्न लिट्रेचर कितना पढ़ाते है और उस में भी ब्रिटिश लिट्रेचर कितना पढ़ाते है। लेकिन क्या कभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सोचा है—भारतीय साहित्य, एशियन साहित्य और अफ्रीकन साहित्य पर कितनी चर्चा होती है—इस का इस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। हमारे तमाम पाठ्यक्रम में ऐशिया में हुए विकासों का, एशिया के दार्शनिकों का, इन में चीनी साहित्य भी शामिल है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। भारत में बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं—उनका कोई जिक्र नहीं है। हम को अभी भी न्यूटन का जिक्र, प्रीस्टले का जिक्र, कांट का जिक्र, ह्यम का जिक्र मिलेगा। मैडीसिनल सायन्स में यूरोप में पिछले 300 सालों में जो विकास हुए हैं, उनका जिक्र मिलेगा, लेकिन भारतीय अधिष्ठान पर भारत की आला शिक्षा में कैसे प्रतिफलित होनी चाहिए—इस का जिक्र नहीं मिलेगा।

इस सम्बन्ध में कोठारी कमीशन क्या कहता है—उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपनी शिक्षा को भारत के जीवन को रिफ्लैक्ट करने वाली नहीं बनायगे, जब तक अपनी शिक्षा में ऐसी चेतना का प्रादुर्भाव नहीं करेंगे, ऐसी चेतना की प्रतिस्थापना नहीं करेंगे जो भारत की आत्मा को प्रतिबिम्बित करे, जो भारत की संस्कृति को प्रतिबिम्बित करे, जो यह बताए—छात्र को कि उसकी क्या परम्परा है, उस की क्या शक्ति है, उस की कमजोरियां क्या हैं, उस के साधन क्या हैं, तब तक शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है।

इसी सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं—हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा के मामले में भाषा के प्रश्न पर एक बहुत ही विचित्र नीति अपनाई है। आज यह कोशिश नहीं है कि इस देश में उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय। दुनियां में कोई ऐसा देश नहीं है. जहां उच्च शिक्षा की पढ़ाई विदेशी भाषाओं मे देने की विसंगति या विरोधाभास हो। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि अंग्रेजी भाषा नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ विषयों के लिए पुस्तकालय की भाषा के रूप में। मैं पूछता हूं—रूसी भाषा क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, फ्रेंच क्यों नहीं पढ़नी चाहिए ? जितना विज्ञान और साहित्य अब फ्रांस की भाषा में है, फ्रांस में जितनी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, रूस में जितनी पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, व अंग्रेजी से कम नहीं है, फिर हम उन को क्यों नहीं पढ़ते हैं। जापान ने अंग्रेजी के माध्यम से जरूर सीखा, लेकिन आज उच्चतर शिक्षा के लिए जापानी भाषा में अनुसंधान की पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं, लेकिन भारत में किसी भी क्षेत्रीय भाषा में वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध नहीं है, बंगाली में नहीं है, हिन्दी में नही है, तमिल में नही है, तेलगू में नहीं है, क्यों नहीं है ? क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस बात से घबराता है कि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उच्चतम विषयों की शिक्षा दी जाय ?

सभापति महोदय, मैं विज्ञान का अध्यापक हूं और मैं एम० एस० सी० तक विज्ञान हिन्दी में पढ़ाता हूं और मेरा यह निश्चित मत है कि मेरे छात्र विज्ञान को अपनी भाषा में अधिक अच्छा समझते हैं, उस छात्र की तुलना में जो विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ता है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से विज्ञान की उच्च शिक्षा का अध्ययन करवाया जाए, तो भारत के वैज्ञानिक, भारत के छात्र दुनियां में सब से बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। विज्ञान को वे अपना बच्चा समझेंगे और विज्ञान से वे खेलेंगे और उसे आत्मसात करेंगे।

अब मैं आप का ध्यान केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिन को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उनके अनुरक्षण के लिए अधिक मात्रा में अनुदान दिया है। उन को ही उस ने उच्च शिक्षा का केन्द्र समझ रखा है और उस का सारा ध्यान केवल उन्हीं केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों की ओर गया है। जो अनुदान उस ने इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए दिया है वह इस प्रकार है :—

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय	1 करोड़ 43 लाख रुपया
दिल्ली विश्व-विद्यालय	1 करोड़ 3 लाख रुपया
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	6 करोड़ 50 लाख रुपया
विश्व भारतीय विद्यालय	1 करोड़ 27 लाख रुपया
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	5 करोड़ रुपया

इस तरह से आप देखें कि सन् 1975-76 मे इन पाच विश्वविद्यालययो को 17 करोड़ 21 लाख रुपया दिया गया है, जिन के छात्रों की संख्या इस प्रकार है :

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय	2039
विश्व भारती	1578
दिल्ली विश्वविद्यालय	78,504
बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय	14,588
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	9,596

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जबकि कुल 2039 विद्यार्थी हैं, वहां पर उन के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपया व्यय किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की क्या परफोर्मेंस हैं जिस की वजह से उस को इतना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है। उस के पहले वर्ष में भी उस को 1 करोड़ 13 लाख रुपया दिया गया था और इस वर्ष में भी उस को डेढ़ या दो करोड़ रुपए अनुदान के रूप में दिए जायेंगे। भारतवर्ष में जिन चीजों की आवश्यकता है, कृषि अनुसंधान की आवश्यकता है, एक नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और हम एप्रोप्रियेट टेक्नोलोजी की बातें किया करते हैं लेकिन कहीं पर उन बातों का प्रतिबिम्ब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्रिया कलापों में नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को इस बात के लिए प्रेरित नहीं किया कि वे भारतवर्ष के लिए नए अनुसंधान के लिए, नई तकनीक के लिए, नई प्रोद्योगिकी के निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करें और भारत की समस्याओं का निदान करें।

आज भारत के कालेजों की बहुत ही दुर्दशा है। कालेज के अध्यापक, कालेजों के पुस्तकालय, कालेजों की प्रयोगशालाएं बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह समझता है कि क्योंकि उस के नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' लिखा हुआ है, इसलिए उसे विश्वविद्यालयों की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि कालेजों के विकास के ऊपर भी उस को पूरा ध्यान देना चाहिए। कुछ बड़े प्रमुख विश्वविद्यालय मेजर यूनिवर्सिटीज के नाम पर बनाने की बात थी। अभी विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे मेजर विश्वविद्यालयों की स्थापना नहीं की है। केवल दो, तीन, चार केन्द्रीय विश्व-विद्यालयों को बना देने से ही बात नहीं बनेगी। मैं चाहूंगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है या ऐसे दूसरे जो विश्व-विद्यालय हैं इन को मेजर यूनिवर्सिटीज बनाया जाए। जो पुराने विश्वविद्यालय हैं उन में से कम से कम पांच, छः विश्वविद्यालयों को मेजर यूनिवर्सिटी बना कर सारे क्षेत्रों का विकास

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

उन के साथ जोड़ा जाए। इन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा के उपकरण पड़े हुए हैं, सांइटीफिक इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए है, उन को जोनल पूल के रूप में बनाया जाए और करोड़ों रुपयों की जो भाईडिल कैपेसिटी है उस को बचाया जाए और उनका उपयोग किया जाए।

इस के बाद मैं कहना चाहूंगा कि छात्रों को विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में शामिल किया जाए। यह आज बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों के सहकार की, तरुणों के सहकार की मांग को स्वीकार किया जाए। विश्वविद्यालयों की कार्यकारणियों में विश्वविद्यालयों की संकाय समितियों में, विश्वविद्यालयों की पुस्तकालयों और भवनों की कमेटियों में छात्रों को हर स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। जब तक हम विश्वविद्यालयों के परिवार मे उस के एक प्रमुख भाग को यानी छात्रो को ठीक स्थान नहीं देंगे, तब तक विश्वविद्यालयों की जो बहुत सी समस्याएं हैं, उन का निराकरण नहीं किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन तमाम समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस सारे प्रतिवेदन को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल अनुदान बांटने के लिए ही अपना साम्राज्य बनाने की कमेटी बना हुआ है। मैं इसके सदस्यों के बारे में आज कुछ नही कहना चाहता और दूसरी तमाम चीजों के बारे में जो शिकायतें हैं उनको आज मैं नही रखना चाहता लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो कुछ किया है, उस की जांच करनी चाहिए। उस को जो फंडस दिए गए हैं, उस का अनुपात ठीक है अथवा नहीं, इस के बारे में एक रिव्यू कमेटी बनी थी पिछले साल जिस ने अपना प्रतिवेदन दिया है और शायद वह मंत्री जी के पास आ गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिव्यू कमेटी के सारे परिणामों को सदन के सामने रखा जाए और सदन इस बात का मूल्यांकन करे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो भूमिका होनी चाहिए, उस का उस ने ठीक प्रकार से निर्वाह किया है या नहीं किया है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, I want to assist the Chair. The Chair has been good enough to make certain observations. This is the beginning of the Sixth Lok Sabha and you want to set the records straight. Here is Rule 369 which deals with this matter. Sir, Rule 369(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha says:

"(1) A paper or document to be laid on the Table shall be duly authenticated by the member presenting it."

And Rule 369(2) says:

"(2) All papers and documents laid on the Table shall be considered public."

Now, you will see Direction No. 118, sub-para (2)(i). It says:

"If in the course of his speech, a member wishes to lay a paper or document on the Table without previously supplying a copy thereof to the Speaker, he may hand it over at the Table but it will not be deemed to have been laid on the Table unless the Speaker, after examination, accords the necessary permission."

In this context if you will make an observation, it would be helpful to the House.

MR. CHAIRMAN: I have already made an observation that firstly, a copy has not been supplied to the Chair. Secondly, I cannot say whether this document is in proper custody and whether it is duly certified or not. Thirdly, the hon. Member has

not volunteered himself to lay that particular letter on the Table. It is for these reasons, I cannot allow that.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: I am prepared to hand it over at the Table.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You will kindly read Direction No. 118(2)(i).

MR. CHAIRMAN: Mr. Bosu, I have already made my observation.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Direction No. 118(2)(i) says that if a Member wishes to lay a paper during the course of his speech, he can hand it over to the Speaker. You may examine it and then you may give the permission to the Member to lay it.

MR. CHAIRMAN: But, during the course of his speech, he has not offered to lay it. And so, I cannot allow it now.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The hon. Member is willing to offer it now.

MR. CHAIRMAN: I cannot allow that now.

Now, before I call Shri Janeshwar Mishra, I would request the hon. Members that since the time at our disposal is very limited and since senior Members take more time, junior members are pointing this out. I request all the hon. Members to co-operate with me as far as time is concerned. I would expect the rest of the Members to speak within the time-limit.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : सभापति जी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की 1975–76 की जो रिपोर्ट विचार करने के लिए हम लोगों के सामने रखी गई है, उसके बारे में मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय तालीम में 1975–76 का साल गुलामी के जमाने से भी सबसे गन्दा साल था।

इस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने से पहले में अपने मन की भावना जो मेरे मन में आई, वह आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा। जब मैंने इस आयोग की बनावट के बारे में पढ़ा और यह पढ़ा कि इसके कौन लोग मेम्बर हैं, कौन-कौन अध्यक्ष है तो मेरा माथा ठनका।

इस आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सतीश चन्द्र। ये इलाहबाद के है और कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डर रहे है। भूतपूर्व शिक्षा राज्य मंत्री, जो कि पूरे मंत्री नही थे, उन प्रोफेसर नुरुल सहन के जमाने मे ये प्रोफेसर सतीश चन्द्र इस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए। प्रोफेसर नुरूल हसन साहब भी कार्ड होल्डर रहे है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के इन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश चन्द्र ने ही प्रोफेसर नुरूल हसन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनाने की स्वीकृति दी थी जिस की इस सदन में चर्चा हो चुकी है। उसके बाद उन्ही प्रोफेसर सतीश चन्द्र की पत्नी श्रीमती सावित्री चन्द्र को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रीडर बनाया गया जो लेक्चरर के पद की भी जानकारी नहीं रखती हैं। यह श्रीमती चन्द्र भी कार्ड होल्डर हैं।

आपात कालीन जमाने से शिक्षा विभाग में जो अजीब ढंग की रिश्वतखोरी चल रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे विचार में तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की इस रपट पर विचार ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसकी बनावट पिछले साल ही हुई है सबसे पहली मांग मैं यह करूंगा कि यूजीसी को तत्काल भंग किया जाए और उसकी जगह पर नई यू जी सी कायम की जाए जिस में स्वतंत्र विचारों के लोग रूसी और अमरीकी दोनों में से कोई भी न हों। जिन का मानस किसी दूसरे मुल्क से प्रभावित न हो और अपने

[श्री जनेश्वर मिश्र]

देश की शिक्षा व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए जो प्रतिबद्ध हो ऐसे लोगों को इस तरह के कमीशन में रखा जाए । यू जी सी के इलावा ऐसे जितने और संस्थान हैं जैसे आई० सी० ए० आर०, आई सी० एस० आर०, शिमला में जो एडवांस्ड स्टडीज वाला है ये सब संस्थान एक तरह से सफेद हाथी के समान बन गये हैं और इन में केवल फिजूल खर्ची होती है । अगर इन सब की बनावट और इनके परसोनल को देखा जाए तो आप पाएंगे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादातर लोग इन में भरे हुए हैं । जो एमरजेंसी के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी के उन तमाम कामों का आंख मूंद कर समर्थन करते थे उन से भरे हुए हैं । बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में जैसे डा० जोशी जी ने बताया उसका आंख मूंद कर समर्थन करने वाले भरे हुए है । इसलिए मैं चाहता हूं कि पहला काम आपको वह करना चाहिये कि यू० जी० सी० की जो वर्तमान बनावट है उसको तत्काल भंग किया जाए ।

इस रिपोर्ट को शुरूआत की गई है कि पिछले साल शैक्षणिक वातावरण बहुत शान्त था और वह शान्ति का वर्ष था । शान्ति किस तरह से ? शान्ति तलवार की नोक के नीचे, कब्रिस्तान की शान्ति । उस शान्ति की चर्चा की गई है और उस पर गर्व किया गया है । इसमें यह लिखा हुआ है कि 1975–76 का वर्ष जो रहा है इसमें विश्वविद्यालयों का वातावरण अपेक्षाकृत शान्त रहा है । लड़के डर के मारे बोल नहीं रहे थे । हर यूनिवर्सिटी के गेट पर पुलिस थी और अधिकांश प्रोफेसर जेलों में थे, वे बोल नहीं पा रहे थे और अधिकांश विद्यार्थी भी जो उनकी तरह के स्वतन्त्र विचारों के थे उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है । इस बात पर इस रिपोर्ट में घमण्ड किया गया है ।

पिछले तीस साल से हिन्दुस्तान में ये विचारधारा चलती रही है कि लड़का, विद्यार्थी या अध्यापक अगर कभी हलचल मचाता है या नई किस्म की बात कहता है तो वह अनुशासनहीन है । अब नई किस्म की तब्दीली आई है । हिन्दुस्तान की राजनीति में नए लोग गद्दी पर बैठे हैं । उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जब कभी नया हुनर, नई कला या नया दर्शन आने लगता है तो पुराने हुनर और कला के खिलाफ थोड़ा बहुत असन्तोष कभी कभी प्रस्फुटित हो ही जाता है और कभी कभी उसके खिलाफ बगावत की बात हो ही जाती है, नफरत की बात हो ही जाती है । उसके बिना उस हुनर में तरक्की हो भी नहीं सकती है । जिस शान्ति पर गर्व किया गया है मैं समझता हूं कि भारत के मानस को वह मुर्दा बनाने वाली थी और उस शान्ति की भर्त्सना होनी चाहिये । पुरानी जहनियत के नाम पर जो विश्वविद्यालयों से जहनियत निकलेगी वह कलम घिस्सू तो हो सकती है, तोता रटन किस्म की तो हो सकती है लेकिन उससे कोई नई उपलब्धि आप समाज के लिए निकाल सकें यह असम्भव बात है । मैंने मंत्री महोदय का भाषण शिक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर जो हुआ था उसको सुना है और उस विशेष संदर्भ में मैं यह बात उन से कहना चाहता हूं । हम इसके साथ हैं । इन्होंने जवाब में कहा था कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की कहीं कोई बात नहीं कही गई है । यहां पर कई माननीय सदस्यों ने आमूल परिवर्तन की मांग की है, हम उस पर कैसे विचार कर सकते हैं । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जनता पार्टी जो आज कुर्सी पर है, केवल अपने चुनाव घोषणा-पत्र के बल पर नहीं बैठी है, बल्कि इसके पीछे जो और तथ्य हैं, जैसे जय प्रकाश नारायण जी का आन्दोलन, विद्यार्थियों का आन्दोलन, और उस से पहले 30 साल से लगातार सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला और आन्दोलन, इन सारे आन्दोलनों में वर्तमान

शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन का वायदा देश की आम जनता, पढ़ने वाले लोगों और शिक्षण संस्थाओं को दिया गया है। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा केवल चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर उसमें आमूल परिवर्तन की कहीं कोई बात नहीं कही गई है, यह कह कर हम बगल नहीं काट सकते है। हमारी जिम्मेदारी होगी हमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। उस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी तो मैं उन विश्वविद्यालयों की ही चर्चा करना चाहता था जो विश्वविद्यालय दिल्ली सरकार चलाती है। उनकी शक्ल देखता हूं तो सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उसके बारे में शिक्षा की मांग पर बात करते हुए भी कई सदस्यों ने आग्रह किया था कि आज से कुछ साल पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो कानून पास किया गया इसी सदन में उस कानून को ले कर के हिन्दुस्तान भर के मुसलमानों की भावनाओं को ठेस लगी थी। हमने भी वायदा किया था कि जब कभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता से जाती है तो उस कानून को रद्द करवाया जायगा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो जनतांत्रिक स्वरूप है उसको पुनर्स्थापित किया जायगा। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि जो नये किस्म का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बने उसमें स्वतंत्र विचार के लोग हों, विश्वविद्यालयों के जनतांत्रिक स्वरूप को समाप्त करने वाले जितने कानून अब तक बने हैं वे सारे के सारे कानून समाप्त होने चाहियें, और इसके साथ-साथ विशेष कर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ जो ज्यादती हुई है उसको समाप्त किया जाये।

काशी विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर डा० श्रीमाली साहब, इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से वह किया करते थे, मैं एक ही मांग करूंगा, केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज के उन प्रोफेसरों की शक्ल याद कर रहा हूं कि इमरजेंसी के दौरान वे लोग 20 सूत्री जैसे सस्ते किस्म के कार्यक्रम की तारीफ़ किया करते थे तो कभी कभी मुझे शक हुआ करता था कि यह प्रोफेसर होने लायक है या उसी विश्वविद्यालय में किसी दूसरी जगह पर जाने लायक हैं।

श्री बसन्त साठे सारे कार्यक्रम तो आपने अपना लिये है जनता पार्टी ने, अब क्या शिकायत है आपकी ? 20 सूत्री के साथ और 2, 4 जोड़ ले।

श्री जनेश्वर मिश्र साठे साहब ने चर्चा छेड़ दिया इसलिये मैं स्पष्ट कर दूं।

सभापति महोदय आप अपना भाषण दीजिये।

श्री जनेश्वर मिश्र सरकार के किसी कार्यक्रम का राजनीतिक कार्यक्रम का विश्वविद्यालय का शिक्षाविद् अगर खुले आम प्रोपेगेन्डा करता है तो उसके शिक्षाविद् होने का स्वरूप खत्म हो जाता है, वह सरकार का दलाल बन कर रह जाता है। यह बहुत खतरनाक स्थिति होगी कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से आप अपने प्रोग्राम का प्रचार करवायें। कोई भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर स्वतंत्र विचार का होना चाहिये, लड़का उसमें विश्वास करे कि जो हमको पढ़ा रहा है वह किसी की दलाली में नहीं पढ़ा रहा है बल्कि मिजाज का आजाद आदमी है तभी लड़का विश्वास के साथ उसकी बातें पढ़ सकेगा। जनता पार्टी ने क्या स्वीकार किया, क्या नहीं किया, इस पर चर्चा नहीं है, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्या कर रहा था इस पर चर्चा कर रहा हूं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान मैंने कल, परसों पढ़ा, डा० हजेला साहब से मैं बहुत कम परिचित हूं, लेकिन उनका बयान जब मैंने पढ़ा—अगर राजनीति के नेता लोग राजनीतिक वातावरण से विश्वविद्यालयों को दूर रखें—तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि यह विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर केवल राजनीतिक कारणों से ही आज नियुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति गवर्नर, राज्यपाल या शिक्षा मंत्री करता है। जो राजनीतिक के

[श्री जनेश्वर मि ( ]

द्वारा, राजनीतिक के पेट से अपनी कुर्सी पर आकर बैठना है, जब वह लड़कों से या राजनीतिक नेताओं से यह कहने लगता है कि इस वातावरण को राजनीतिक से दूर रखो, तो थोड़ी देर के लिये लड़का भी शक करता है उसके बयान पर, और राजनीतिक के लोग भी सोचते है कि यह अपनी मा को ही लात मारता है ।

15 hrs.

मैं नौकरशाहों के बारे में भी कहना चाहूंगा कि यह कानून बन जाना चाहिये कि रिटायर्ड आई० सी० एस० या पी० सी० एस० के लोगों को इन पदों पर नहीं बिठाया जायेगा जब उनको पेंशन लेनी होती है, सरकार उनसे खुश होती है तो उन्हें वाइस-चांसलर की कुर्सी पर बिठा दिया करती है, यों ही 2, 4 साल तक कुर्सी तोड़ने के लिये ? उनका तालीम से कोई मतलब नहीं रहता है । तो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था इसी कारण बिगड़ी है ।

इस बहस में मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में कह रहा था, लेकिन यहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक अजीब किस्म की यूनिवर्सिटी बनी हुई है । मैंने उस दिन भी कहा था कि उसमें केवल 1500 छात्र हैं और 250 अध्यापक हैं । यदि इतनी मंहगी और खर्चीली तालीम सारे हिन्दुस्तान के बच्चों को मिल जाये तो मैं यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन और जो शिक्षा पद्धति चल रही है, उस पर गर्व करता । लेकिन 6 लड़कों पर एक अध्यापक, ऐसा कहीं नहीं है । मैं चाहूंगा कि इस पर खोज होनी चाहिये कि ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में है या नहीं ? आखिर यह क्यों और किस बात के लिये ? इसका एक ही कारण था । हिन्दुस्तान की और यूनिवर्सिटीज में जब लड़कों में अपनी मांगों और यूनियन को लेकर हलचल मची तो सरकार के जितने आई० ए० एस० आफिसर और मिनिस्टर थे, इनके मन में चिन्ता हुई कि अगर हमारे बेटे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे तो बिगड़ जायेंगे इसलिये इन्होंने सोचा कि एक बढ़िया किस्म की, खूबसूरत यूनिवर्सिटी खोली जाये और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी खोली गई । इसमें जितने अध्यापक अब तक नियुक्त हुए है वे या तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं या कम्युनिस्ट पार्टी के लोग है ।

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक डा० गोपाल हैं, जिन्होंने काल-पात्र के लिये इतिहास, झुठलाने वाले इतिहास की रचना की । वह राधाकृष्णन साहब के रिश्तेदार हैं । उन्हीं के साथ एक कृष्णामूर्ति साहब हैं । ये भी इतिहास के प्रोफेसर हैं । जिस तरह का इतिहास ये लिखते हैं, इसकी जानकारी आपको हो गई होगी ।

यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन इस तरह के प्रोफेसरों के लिये, खुले हाथों से विश्वविद्यालयों को पैसा दिया करता है । मैं साफ तौर से शिक्षा मंत्रालय से मांग करूंगा कि आज भी विश्वविद्यालयों में इस तरह के प्रोफेसर पड़े हैं, जो इतिहास के पन्नों को झुठलाने की साजिश कर रहे हैं । आज ही नहीं अंग्रेजों के जमाने में भी उनके कहने पर गंदा इतिहास लिखा गया । अब धीरे-धीरे उसकी सफाई हो रही थी, लेकिन मुझे पता लगा है कि 30 साल में इस तरह का इतिहास जोड़ने की साजिश चल रही है ।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने जो किताब लिखी थी, भारत के बंटवारे के बारे में उसका एक हिस्सा तो प्रकाशित हो गया, लेकिन एक हिस्से के बारे में यह था कि वह इतने अर्से के बाद प्रकाशित किया जायेगा । मुझे तो जानकारी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री इस बहस का जवाब देते हुए बातायें कि यह चर्चा चल रही है कि उस हिस्से को राष्ट्रीय संग्रहालय से गायब कर दिया गया है ।

केवल इतिहास झुटलाया नहीं जा रहा है, इस मुल्क के इतिहास की चोरी भी की गई है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोग जब अपनी रिपोर्ट देते हैं तो इस तरह के तथ्यों को जानकारी में नहीं लाने देते । मैं आरोप लगाऊंगा कि यह हिन्दुस्तान की जहनियत और जानकारी के साथ बेईमानी की गई है, इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये ।

जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि यह दृष्टिहीन, दिशाहीन और बुद्धिहीन किस्म के पढ़े-लिखे लोगों की रिपोर्ट है । वे पढ़े लिखे तो हैं-- -मै उन्हें अज्ञानी और मूर्ख नही कह सकता हूं--लेकिन मैं उन्हें बुद्धिहीन जरूर कहूंगा, जो अपने मुल्क के इतिहास की चोरी और उस को तोड़ने पर पर्दा डालने की साज़िश करें । जिन संस्थाओं में इस तरह की साज़िश करने वाले अध्यापक हों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन संस्थाओं की खुले दिल से मदद करे, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

श्री बसन्त साठे : क्या मौलाना आज़ाद की किताब यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के पास रहनी है ? तो फिर माननीय सदस्य किस पर चोरी का आरोप लगा रहे है ?

श्री जनेश्वर मिश्र : शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा गया है :

> "विश्वविद्यालय ने एक प्रशासन तथा मार्गदर्शन केन्द्र शुरू किया, जिस में शिक्षकों ने स्वैच्छिक सेवायें कीं । इस के परिणामस्वरूप सन 1976 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सात स्नातक भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा सम्बद्ध सेवाओं के लिए चुने गये । (इस के पहले कभी कभी केवल एक आधा छात्र चुना जाता था)"

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को सिविल सर्विसिज की नौकरी के लिए काम्पीटीशन मे पास कराना नहीं है, बल्कि उन्हें दर्शन, कला और विज्ञान में पारंगत बनाना है ।

यह रिपोर्ट बता रही है कि पिछले तीस साल तक विश्वविद्यालय की शिक्षा लार्ड मैकाले के ज़माने की लकीर पर चलती रही है । आज भी अध्यापकों का इस्तेमाल इस लिए हो रहा है कि उन के विद्यार्थी कलेक्टर बनें, वैज्ञानिक, साहित्यकार या दार्शनिक न बनें । इस रिपोर्ट में इस बात पर घमंड किया गया है कि अमुक विश्वविद्यालय के कितने विद्यार्थी कलेक्टर बने । आज देश का सियासी माहौल बदला है, और उस बदले हुए महौल में इस दृष्टिकोण को भी बदलना पड़ेगा । विश्वविद्यालय की तालीम कलेक्टर बनाने के लिए नहीं है ।

मान लीजिए कि हमारे देश में लार्ड मैकाले के ज़माने की तालीम को ही रखना है, तो मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि आज हमारे विद्यार्थियों पर दोहरी मार पड़ रही है । एक तो वे विश्वविद्यालयों में अपनी खोपड़ी का, एबस्ट्रेक्ट नालज--अमूर्त ज्ञान का--इम्तहान देते हैं--बी० ए०, एम०ए०, पी० एच० डी० और डी० लिट० की परीक्षायें पास करते हैं । और फिर जब वे लोक सेवा आयोग, रेल सेवा आयोग या पुलिस सेवा आयोग के सामने नौकरी के लिए आते हैं, तो अपने पेट का, जेनेरल नालेज--मूर्त ज्ञान, का इम्तहान देते हैं और कैरियर्स एंड कोर्सिज तथा हू इज हू आदि रट कर पर्चा भरते हैं ।

मैं अर्ज करूंगा कि हमारा मुल्क बड़ा ग़रीब है । यहां दो तरह के इम्तहान नहीं चल सकते हैं । इस से समय खराब हो रहा है । या तो विद्यार्थी बी० ए० और एम० ए० का इम्तहान दे, और अगर सरकार को कलेक्टर की जगहें भरनी हों, तो एम० ए० की परीक्षा में ऊपर के बीस पच्चीस

[श्री जनेश्वर मिश्र]

विद्यार्थियों को छांट लिया जाये। और अगर सरकार ने लोक सेवा आयोग, रेल सेवा आयोग और पुलिस सेवा आयोग आदि द्वारा अलग से इम्तहान लेना ही है तो फिर यूनिवर्सिटी के इम्तहानों को खत्म कर दिया जाये, क्योंकि उन की जरूरत नहीं है। हम यूनिवर्सिटी में जा कर पढ़ेंगे, और अगर कलेक्टर की जगहों के लिए विज्ञापन निकलता है, तो हम पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान देंगे। अगर हमारा नम्बर बढ़िया हो जाय, हमें नौकरी दे दें और नहीं तो नहीं दें। लेकिन दोहरे इम्तहान की मार से मुल्क के मौजूदा युवा जन को बचाने की कोशिश करें, हम यह प्रार्थना जरूर आप से करेंगे। सुबह लकप्पा साहब ने एक बात छेड़ी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में और दिल्ली के बारे में कि छात्रों को भर्ती का बड़ी दिक्कत पड़ रही है। यह केवल दिल्ली का माहौल नहीं है, सारे हिन्दुस्तान में यह स्थिति है। यह जुलाई का महीना बड़ा खतरनाक महीना होता है। लड़का गांव से आता है। उस का बाप अपने घर का गेहूं बेच कर, अपनी बीवी के जेवर गिरवी रख कर अपने बेटे को शहर में भेजता है कि जाओ यूनिवर्सिटी में पढ़ो क्योंकि बाप को उम्मीद होती है कि लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा तो बुढ़ापे में उस को रोशनी दिखलाने का काम करेगा। लड़का आता है और यूनिवर्सिटी के गेट पर देखता है, वहां तख्ती लगी रहती है कि अब जगह खाली नहीं है। लड़का चुपचाप लौट जाता है। उस के मनोबल को चोट लगती है। वर्तमान शिक्षा मन्त्रालय से मैं यह उम्मीद करूंगा कि जो नये किस्म की तालीम, नये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा चलाई जायेगी उसमें इस बात की छूट होगी कि अगर कोई लड़का उपयुक्त परीक्षा पास कर लेता है तो ऊपर के दर्जे में जाने के लिए उसको लाजिमी तौर पर जगह मिलेगी अगर वह जाना चाहता है। कोई रुकावट उसमें नहीं डाली जायेगी। तानाशाही मुल्कों में शिक्षा का रुख रैस्ट्रिक्टव हुआ करता है, सिकुड़नवादी हुआ करता है, लेकिन जनतन्त्री मुल्कों में शिक्षा का रुख फैलाववादी हुआ करता है। मैं समझता हूं कि जनता पार्टी की सरकार जिसने हिन्दुस्तान की जनता के सामने जनतन्त्र का सबसे बड़ा वायदा किया है उसके लिए जरूरी है कि वह शिक्षा के रुख को फैलाववादी रखे। सिकुड़नवादी रुख अगर वह रखेगी तो आने वाले जनतन्त्र के लिए यह चीज खतरनाक होगी।

जिस शांति की चर्चा का गई है उस शान्ति के चलते बहुत से विश्वविद्यालयों में छात्र-संघ आदि भी खतरे में पड़े हुए हैं। जैसे के तैसे भंग हैं। मैं चाहूंगा कि उन छात्र-संघों को पुनः स्थापित किया जाय। मैं डा० मुरली मनोहर जोशी की इस मांग का भी समर्थन करूंगा कि विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालयों में उसके इन्तजाम में, उसकी सीनेट में, उसकी कमेटियों में, उसकी इमारत बनाने में और उसकी लाइब्रेरी आदि में सब में उचित साझेदारी दी जाय। वह आज विश्वविद्यालय में जाने के बाद इस कुण्ठा का शिकार होता है कि यह विश्वविद्यालय उसका नहीं है, केवल प्रबन्ध-समिति या अध्यापक लोग या केवल वाइस-चांसलर ही इस विश्वविद्यालय के मालिक हैं और लड़का मालिक नहीं है। विश्वविद्यालय के स्तर पर यह बात अच्छी नहीं हुआ करती है। दुनियां के बहुत से मुल्कों में विद्यार्थियों को अधिकार दिया गया है विश्वविद्यालय चलाने में और उसकी कमेटी में। यहां भी देना चाहिए और अधिकार देने का मतलब यह नहीं हुआ करता है कि वाइस-चांसलर अपनी मर्जी से किसी को नियुक्त कर दे। फिर तो दलालों की साझेदारी हो जायेगी। लड़कों की यूनियन वहां पर होगी, वह तय करेगी कि हमारा कौन प्रतिनिधि जाय, इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी के साथ साथ समाप्त करते हुए मैं यह भी अर्ज करूंगा कि आज जिस तरह की

महंगाई है उसमें गरीब आदमी का बेटा विश्वविद्यालय में पढ़ने की हालत में नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अगर विश्वविद्यालय की तालीम की तरक्की के लिए पैसा देता है तो विश्वविद्यालय के छात्रवासों में सस्ते रेट पर भोजन की व्यवस्था भी करे और जो कमी पड़ती हो उसे वहन करे। इसकी मैं मांग करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को इस समय जो अनुदान आयोग चल रहा है उसको बैरंग लौटा दिया जाय। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आज हिन्दुस्तान की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के ऊपर उसके सीने पर सफेद हाथी की शक्ल में है। मैं चाहूंगा इसको खत्म किया जाय और स्वस्थ तथा आजाद मिज़ाज के लोगों को एक अनुदान आयोग गठित किया जाय।

SHRI VASANT SATHE (Akola): Sir, while speaking on the Report of the University Grants Commission, let me at the out set express my deep sorrow at the remarks that were made by the speaker, who preceded me, against the University Grants Commission's personnel. The burden of his remarks was that the Commission was packed with wrong people because they were alleged to belong to certain political philosophy or thought. It is very unfortunate that he says that they should be removed and new persons of what he considers free thought should be appointed. They will be appointed naturally by the very people who have come into power now. So, by the very logic of what you said it will mean that the replacement also will be political-oriented. Therefore, I would tell my friend through Mr. Chairman that this is a very unfortunate remark.

श्री जनेश्वर मिश्र : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं ने केवल यह कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, उसकी पत्नी—इन दोनों को शिक्षा मंत्रालय रिश्वत न दे और शिक्षा मंत्री को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रिश्वत न दे। मैं चाहूंगा चन्दर साहब इस तरह की हरकतों से बचें क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोग किसी को भ्रष्ट कर सकते हैं जिस तरह से प्रो० नूरुल हसन साहब को किया। मैं चाहूंगा इस तरह का भ्रष्टाचार शिक्षा के महकमे में न चले। अगर चन्दर साहब को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई डिग्री या जगह दे दे तो उसको भी मैं पसन्द नहीं करूंगा।

MR. CHAIRMAN: It is not a point of order, it is only a point of clarification.

SHRI VASANT SATHE: It is not a clarification. It is only a repetition of what he said. I am confident that the hon. Minister is capable of clarifying and defending the University Grants Commission's personnel who cannot be here to defend themselves against such wild remarks. I am very sorry to note that the people in high and responsible positions in the Janata Party are running amuck and making wild remarks here and there.

Coming to the Report, let me say that I want to congratulate the University Grants Commission for their first observation in their Report that in the previous year there has been a peaceful atmosphere in the universities and students have been going to their classes for studies. My friend was remarking that people must be free—free to rebel, and free to participate in all movements. Among the students also, it is only those rebel leaders who bring about violent activities in the universities. May I point out to him that even our great leaders like Mahatma Gandhi, Vivekananda, Jawaharlal Nehru and Jayaprakash Narayan were the products of universities. But did they go with knives to the colleges?

एक माननीय सदस्य : क्या आप जय प्रकाश जी को अपना लीडर समझते हैं।

SHRI VASANT SATHE : I consider Jayaprakash Narayan also a great man of this country. I may disagree with him, but I respect him. I hope you will also do the same for others.

From the type of atmosphere that was prevailing before, I am sure no educationist would encourage such type of activities where principals and vice-chancellors were gheraoed.

Day in and day out universities have become virtually places of riot. Is that what our students have to do? There will have to be discipline in universities and I would plead with my friends not to talk of encouraging such activities in the universities. That is why I congratulate the University Grants Commission on its first part.

Coming to the latter observations, I would take them point-by-point, and make suggestions to the hon. Minister. In the very introductory chapter, at page 2, it is said that there is proliferation of colleges. In one year, the number of colleges increased from the earlier figure of 85.

123. The UGC says :

"The University had been informed that under section 12(a) of the UGC Amendment Act, no university or college established after 17th June, 1972 would be eligible for assistance from the Central Government or from any other organization receiving Central funds, unless the Commission had declared that institution to be fit to receive Central assistance. It would appear that this provision has not been sufficient to deter unplanned proliferation of colleges; and necessary remedial steps may have to be considered."

What do we mean? We mean that new colleges should not come into existence. Because of our incapacity to support these new colleges, of our incapacity to make provision for the large number of new students who come out of high schools and want higher education, of our incapacity to provide them avenues of employment or knowledge which will make them job-worthy, you want to shut down the colleges. They want to go in for higher education and you don't have enough colleges. You say that you will not give grants to these colleges. Where are these students to go? Where are these young men who come from rural areas, who have passed their Matriculation examination, supposed to go hereafter—I mean the new additions to the market of educated young men? Where will they educate themselves?

I do not think this is a very happy situation. You should not put a constraint in this manner in the way of new colleges coming up. In this context, you have talked of 10 plus 2 plus 3, in this Report itself. At page 4 of the report it is said:

"The Commission has also appointed a task force to suggest details of the change-over and the nature of adjustment that would be necessary in the syllabi of the university. The task force has also been asked to consider the question of introducing Pass, Honours and Link Courses in the Central universities, as well as the problems of organising schools and pre-degree classes within the framework of 10 plus 2 plus 3."

What was the object of 10 plus 2 plus three? The idea was that after passing the high school examination in the 10th class, the 2-year course should be such that it will equip the student in some vocational field. Everyone need not become an Arts or even a Science graduate, if he can go to a course which will equip him and make him job-worthy and equip him with something connected with life and enable him to become a craftsman, machinist, wireless operator or anything in any field. That was the idea of the 2-year course, so that he can become a useful citizen and a work-worthy citizen who can contribute to the

growth of national wealth and also take out a living. Is that happening with your 2-year course? There is an observation in the Report which says that they have not been able to find enough equipment, enough new syllabi or a programme for training in this 2-year course, with the result that they are playing with the lives of our students. Those who come to this 2-year course are neither here nor there. After the 2-year course, they cannot go to the college for further education, because that was not intended. The student has passed the 11th. Otherwise, one year will be wasted. Here, in the 2-year course, he is not equipped for anything. Why are we throwing away books, syllabi, funds, special equipments and other things? Why are we playing with the lives of our youngmen? Why was the old course changed? If you were really serious about bringing changes, you should have made all the preparations. Do you know what the UGC say? They say "we do not have enough funds to bring about this change; we hope that enough funds would become available." Therefore, I am glad the hon. Minister has expressed the view that the scheme of 10 plus 2 is still under consideration. Really, I would beg of you to consider this. If the 10 plus 2 year course does not equip the young men all over the country to get sufficient knowledge to equip them in some vocational field, you must abolish this course. Today in Maharashtra and elsewhere the boys who come out of the 10 year course are not admitted to the medical coleges. What are you going to do for them? Therefore, I would beg of you to consider this aspect also.

Then I will come to the pattern of development of colleges. The Report says at Page 3:

"However, there has not been any marked improvement in the general situation facing the colleges. In view of the revision of salaries of the teaching staff, in a number of cases boards of management or private colleges are finding it difficut to run the colleges, particularly non-viable colleges On occasions complaints have been received by the Commission regarding the malpractices in the payment of salaries to the teachers. Since the Commission does not have any authority to interfere in the internal affairs of the colleges, such complaints have invariably been referred to the Universities concernd for such action as they may like to take."

What a sorry state of affairs? As every Member must be knowing, in many colleges the teachers are not paid salaries for months together. What can they do? Can they teach on an empty stomach, on starvation? Yet, the UGC say that although they give the grants to the universities and colleges, they are helpless because they have no control over them. I would beg of you to consider this. When the Constitution was amended by the Fortysecond Amendment Bill, among the many good things that were done, one was that education was brought in the Concurrent List. So, now you have the power to bring about changes to control and help these colleges to become viable colleges and to help the professors and lecturers get their salaries. Therefore, I would request you to consider this aspect.

There is another matter relating to research facilities. I was surprised to hear my hon. friend, Shri Janeshwar Mishra, deride scientific education. There seems to be a phobia for them that whatever happened durng the last 30 years must be bad. Therefore, he said that all our education has been futile, including scientific education. Do you know that India today has a proud record in this field? After America and USSR, India is the third country in technology and scientific expertise. Is it not something to be proud of? What is good is good and you must admit it. It was possible through this very education given by the colleges and universities in the past, under the guidance and supervision of the UGC. Therefore, do not throw away the baby with the bath

[Shri Vasant Sathe]

water Think what is good and retain it. Therefore, I would submit that research should be given attention in this context.

It is stated at Page 4 of this Report:

"The Commission has always looked upon research and teaching as correlated activities. The Commission is firmly of the opinion that in order to introduce greater flexibility in the course, to link them with the needs of the community and specially with the rural community and to develop them innovate a programme, researches in universities and colleges needs to be considerably strengthend."

Again, they lament and say that they hope that enough funds would be forthcoming from Government. I also hope that you will lay special emphasis on research and give enough assistance particularly, as Dr. Murli Manohar Joshi pointed out, to make education community-oriented, field-oriented, rural-oriented, so that our young men will be able to take some initiative. An excellent example was given by him about the research that was made. We have also similar problems. I think we have enough talent in this country and that our young men also can do it.

Then, you talk of student welfare. Students go to universities and colleges which are mostly in urban areas. They come from rural areas. Having come there, they do not get hostel facilities. In a place like Poona, which was considered a seat of learning and knowledge, there is an engineering college. You will be amazed to know that even ten per cent of the students there are not provided with hostel facilities. What are the others to do? They try to get some accommodation in the city. They get a room for Rs. 200 for three boys. Do you think that a poor student coming from an ordinary family can afford to have education under such circumstances? That means indirectly we are discouraging students from poorer families from getting higher education. Therefore, if you want young men from rural areas to come to urban areas where these colleges are located, the first and foremost thing that you have to provide is hostel accommodation. I support Shri Janeshwar Mshra's suggestion that their food should also be subsidised. These are two elementary measures of student welfare.

I also support Dr. Murli Manohar Joshi's suggestion that students should have participation in the management of the colleges and universities, but do not have unionism in the sense of trade unionism. Let the representatives come directly from the students themselves and do the job. I think that would be a very healthy move and would give them a sense of participation.

In regard to examination reform, you have stated that you have not got even 18 colleges to cooperate with you in your eperimental programme. Rural or practice orientation in education is, I believe, the sole of the whole thesis and programme of the Janata Government and I congratulate you on that. You may call it by any name, but it is the 20-point programme. This is what is incorporated in the University Grants Commission's Report. (*Interruptions*).

The report says:

"The Commission has already selected 18 universities for experimentation in this area. However, the need of restructuring with a view to make them relevant to the developmental requirements of the community with special emphasis to rural areas, did not receive such attention from the university community as might have been expected. Efforts to make up this deficiency will have to be taken on an urgent basis on all fronts."

Therefore, I would request you to give special emphasis to this aspect.

I would also request the hon. Minister to consider the question of nationalising the university education at some stage

so that the syllabi, the programme for education all over must be similar, planned, co-related with our life and requirements. Students feel frustrated because after they come out of colleges, do not know where to go. They cannot get job because their education has not been connected with the job. You are also, helpless. You might have seen in the Labour Ministry's Report that lakhs and lakhs of educated students are on the employment register. That is why the frustration is there.

With these words, I would congratulate the Education Minister for having submitted this report of the UGC.

15.39 hrs.

STATEMENT RE: RESIGNATION OF JUSTICE D. S. MATHUR FROM THE COMMISSION OF INQUIRY INTO THE AFFAIRS OF MARUTI GROUP

MR. CHAIRMAN: The Home Minister.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): On a point of order. Under Rule 372, when the statement is made by the Minister, the Members will not be allowed to put questions. We have given calling attention notice on this and the Speaker is already seized of the matter. It is, therefore, for consideration that when the subject matter is pending for the consideration of the Speaker, whether it is corerct on the part of the Home Minister to make such a false statement and escape the responsibility. Sir, you must safeguard and protect the rights of the Members.

MR. CHAIRMAN: The Deputy-Speaker has already allowed it.

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : लाकप्पा साहब ने जो आपत्ति की है कि माननीय मन्त्री जी अगर अपना वक्तव्य दे देंगे तो उसके बाद जो उन्हें क्वेश्चन करने का अधिकार है, वह राइट खत्म हो जायेगा। मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री जी के वक्तव्य

पर सदन में बहस की इजाजत ली जा सकती है ताकि सभी सदस्य कार्यवाही में, बहस में, हिस्सा ले सकें।

सभापति महोदय : यहां ऐसा नहीं है कि जो भी खड़ा हो उसको परमीशन दी जायेगी। जिन्होंने यहां क्वेश्चन करने के लिये लिख कर दिया है, जैसे माननीय एस०एन० मिश्र और माननीय वसन्त साठे, उन्ही को मौका दिया जायेगा।

They have already written. They will be given a chance, not all the people who get up.

श्री जनेश्वर मिश्र : अलग से नोटिस दे कर बहस हो सकती है।

चौधरी बलबीर सिंह : चेयरमैन साहब पहले इस बात का तो फैसला करें जो उन्होंने एक बात कही है। स्टेटमेंट अभी हुआ नहीं और उन्होंने कहा "फाल्स स्टेटमेंट"।

सभापति महोदय : नहीं कहा है।

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayankil): On a point of order, Sir. This matter has already been discussed in the other House. Now, the Home Minister is making a statement here.. (*Interruptions*.)

MR. CHAIRMAN: You can speak later on; I will allow you. The hon. Home Minister.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): My attention has been drawn to certain observations made by some Members regarding the resignation of Justice D. S. Mathur as the Commission of Inquiry into the affairs of the Maruti group of concerns.

It is not correct to say that any documents required by the Commission were withheld by the Ministry of Home Affairs, or that Government had tried to influence the Commission in any way.

In a recent publication an oblique reference was made to a colleague of